

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-16वीं अगस्त 2019

सेवा में,

श्री नीरज कांत,

मैनेजिंग डायरेक्टर, टाटा स्टील एवं वायर रोप प्रोडक्ट्स,
इंडिरानगर, टेलको, जमशेदपुर।

बिषय :- मौजा-कालीमाटी, प्लाट नं0-624(P), 625(P), 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 704 (P), 705, 706 (P), 754 (P), खाता न0-01, वार्ड नं0-14 of JNAC, थाना-1163, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में प्रस्तावित आवासीय भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित विद्यालय भवन की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर से कराई गई। अपने ज्ञापांक-507, दिनांक-03.08.2019 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा की अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं:-

1. प्रस्तावित भवन में कम से कम दस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
2. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ स्टेयरकेश लॉबी में प्रत्येक तलों पर 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय।
3. 450ली0/मि0 क्षमता का टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
4. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाँय।
5. भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
6. यदि कम्प्यूटर रूम एवं लैब हो तो उसे 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद Co₂ Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
7. प्रस्तावित भवन में एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
8. स्कूल परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
 - i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 02 Nos.
 - ii. Fire Bucket - 02 Nos.
 - iii. Water CO₂ Fire Extinguisher 09 Ltr- 02 Nos.
9. प्रस्तावित भवन के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
10. प्रस्तावित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
11. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।

12. प्रस्तावित भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले चेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
13. अग्नि-सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
14. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

SUDHIR
KUMAR
VERMA

Digitally signed by SUDHIR KUMAR VERMA
DN: c=IN, o=JHARKHAND FIRE SERVICE GOVERNMENT
OF JHARKHAND, ou=JHARKHAND FIRE SERVICE
JHARKHAND RANCHI, postalCode=834002,
st=Jharkhand,
2.5.4.20=be79f6de477ab835184e26d31d3ae7ca45409
499de3dce9d2396aecb42d9edc1,
serialNumber=a1608656d883fd65dd1fa203c62f139cc
098217b1b01dfo1d3d83d8806cfe03e, cn=SUDHIR
KUMAR VERMA
Date: 2019.08.16 16:52:31 +05'30'

(श्री सुधीर कुमार वर्मा)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।